भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1830

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

रोजगार सृजन

1830. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त निवेश के साथ विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और कतिपय योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन में क्या प्रगति हुई है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सृजित नौकरियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना से बागपत के युवाओं को लाभ मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (युवाओं सहित) **अनुबंध-I** में दी गई है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में 15-29 वर्ष और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं का रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

(% में)

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (15-29 वर्ष)	डब्ल्यूपीआर (15 वर्ष और उससे अधिक
2021-22	34.7	50.1
2022-23	38.5	53.9
2023-24	39.0	55.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

दिनांक 28.02.2025 तक, पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं। एनसीएस पोर्टल पर राज्यवार/जिलावार ((उत्तर प्रदेश में बागपत जिले सहित) पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या और जुटाई गई रिक्तियों को https://www.ncs.gov.in/_layouts/15/ncsp/ViewStaticReport.aspx पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में 6578 रोजगार मेले आयोजित किए गए।

******

अनुबंध-।

लोक सभा के दिनांक 10.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1830 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्रीय योजनाओं का रोजगार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उत्तर प्रदेश
1	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) (लाभार्थी संख्या) [2020-21 से 2023-24]	4.34 लाख (दिनांक 31.03.2024 तक)
2	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (ऋण खातों की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24]	308.76 लाख (दिनांक 01.11.2024 तक)
3	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या) [वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25]	19.04 लाख (दिनांक 08.07.2024 तक)
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25]	4.53 लाख (दिनांक 29.01.2024 तक)
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (सृजित मानव दिवसों की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24]	116.98 करोड़
6	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25]	69,588 (दिसंबर, 2024 तक)
7	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [2019-20 से 2024-25]	2.50 लाख (दिसंबर, 2024 तक)
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [2019-20 से 2023-24]	44,524

स्रोत: संबंधित मंत्रालय